R 3879-I-16

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–छतरपुर

1– जीतेन्द्र रिछारिया पुत्र श्री श्याम बिहारी रिछारिया, निवासी – चेतगिरी कालौनी वार्ड नं. 1 छतरपुर तहसील व जिला छतरपुर (म.प्र.)

2– श्रीमती शशि द्विवेदी पत्नी ओमप्रकाश द्विवेदी निवासी – देरी तिराहा देरी रोड छतरपुर तहसील व जिला छतरपुर (म.प्र.)

.... आवेदकगण

विरूद्ध

1– म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला छतरपुर

2– तहसीलदार तहसील छतरपुर (म.प्र.)

.......अनावेदकगण

न्यायालय/कार्यालय तहसीलदार तहसील व जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 16/अ–3/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 25.06. 2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, ग्राम मौराहा प.ह.न. 53 रा.नि.म. छतरपुर तहसील व जिला छतरपुर में स्थित भूमि आराजी खसरा क्रमांक 1270/1 में से कुल विक्रीत रकवा 0.202 है0 का विक्रय पत्र विद्या सागर शुक्ला, अमरनाथ शुक्ला पुत्रगण अलखप्रकाश शुक्ला द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 03. 01.2007 को आवेदकगण के हित में किया गया था। तत्पश्चात् भूमि पर कब्जा प्राप्त कर विधिवत् रूप से नामान्तरण सम्पादित कराया गया था।
2. यहकि, आवेदकगण द्वारा तहसीलदार तहसील छतरपुर के समक्ष एक आवेदन पत्र सीमांकन एवं तर्मीम बावत् प्रस्तुत किया था जो प्रकरण क्रमांक 5/अ–12/2010–11 पर पंजीबद्ध किया जाकर पारित आदेश ... जाकर प्रस्तावित तरमीम खसरा

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–निगरानी–3879–एक / 2016 जिला–छतरपुर

जीतेन्द्र रिछारिया व अन्य विरूद्ध म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर व तहसीलदार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
11–03–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार तहसील व जिला–छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 16 / अ–3 / 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 25–06–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर, जिला–छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 08–05–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (अम0के0 जैन) 11.3.19 सदस्य	